निरीक्षण रिपोर्ट /Inspection Report

अनुभाग का नाम : **लेखापरीक्षा अनुभाग, केंद्रीय कर, मुख्या. बेंगलूरु उत्तर पश्चिम आयुक्तालय**	निरीक्षण तारीख़ : **03-09-2024** निरीक्षण अधिकारी: **श्री नवीन के. भास्कर, सहायक आयुक्त**

अनुभाग में,04 राजपत्रित अधिकारी और 01 अराजपत्रित अधिकारी कार्यरत हैं।
Section is manned by, 04 Gazetted Officers and 01Non-Gazetted Officer.

उक्त दिनांक पर लेखापरीक्षा अनुभाग में राजभाषा प्रगति संबंधी निरीक्षण किया गयातथा अनुभाग द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रश्नावली के अनुसार यह पाया गया है किलेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। जो सराहनीय है जैसे,

1) रबड़ मोहर,पत्र शीर्ष और बैज/बिल्लेद्विभाषा रूप में तथा नाम पट्ट व साइन बोर्ड त्रिभाषा रूप में पाए गए हैं।
2) सभी कंप्यूटरों में द्विभाषी रूप में कार्य करने की सुविधा है ।
3) समय पर हिंदी की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है ।
4) सभी अधिकारियों द्वारा हिंदी में टिप्पणियॉ लिखी जा रही हैं ।
5) धारा 3(3) के अधीन आनेवाले सभी काग़ज़ात द्विभाषा रूप में जारी किये जा रहे हैं ।
6) राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पत्राचार द्विभाषी में जारी किए जा रहे हैं ।

The inspection regarding implementation of Official Language in Section was done on date mentioned aboveand from the Inspection Questionnaire submitted it is found that the Audit Section is taking great efforts in implementing Hindi as Official Language. Which is appreciable viz.

1) Rubber Stamps, Letter Heads &Badges/Shoulder epauletsare in Bilingual formand Name Plate &Sign Boards are in Trilingual form.
2) Bilingual typing facility is available in all the computers.
3) The Quarterly Hindi Report is being submitted on time.
4) Hindi Notings are being written by all the Officers.
5) All the documents under Section 3(3) are being issued in bilingual form.
6) Original Correspondence from your section, are being issued as per the target fixed by the Department of Official Language.

<u>निरीक्षण अधिकारी के विशिष्ट सुझाव</u> :

निरीक्षण अधिकारी द्वारा कार्यालयीन काम में राजभाषा की प्रगति के लिए निम्नलिखित निदेश दिया जाता है ।

Following directions are hereby given by the inspecting officer for the progressive usage of Official Language in the Official work.

1.फाइलों में हिंदी में टिप्पणियॉ :वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार फाइलों पर लिखी जानेवाली कुल टिप्पण की पृष्ठों की संख्या की 30% द्विभाषा में होना है । निरीक्षण के दौरान सिर्फ कुछ टिप्पणियॉ द्विभाषा में पाई गई । इस दिशा में यह निदेश दिया जाता है कि सभी टिप्पणियॉ हिंदी में भी लिखा जाए ।

Notings in Hindi in Files : As per the annual program 30% of the total number of notesheet pages must be written in bilingual. During inspection, only few notings were seen in Bilingual form. In this regard, it is directed that notings may also be written in Hindi.

2.फाइलों पर विषय: कुछ फाइलों पर विषय हिंदी में पाए गएं, इस दिशा में यह निदेश जाता है कि हर मिसिल पर विषय द्विभाषी में लिखा जाए ।

Subjects on files: Subjects on few files were found in Hindi, in this regard it is directed that subject on files may be written in Bilingual form.

3.हिंदी प्रशिक्षण : अनुभाग में, केवल एक अधिकारी हिंदी प्रशिक्षण के लिए शेष है। उक्त अधिकारी को यथाशीघ्र प्रशिक्षण दिलाया जाए ।

Hindi Training : One Officer of the section is yet to be trained in Hindi. The Officer may be nominated for Hindi training.

4.रजिस्टरों में प्रविष्टियां: अनुभाग में 04 रजिस्टर हैं । सभी रजिस्टरों पर शीर्ष द्विभाषा में हैं। प्रविष्टियॉ हिंदी में करने का प्रयास करें ।

Entries in Registers: 04registers are available in the office. On allregisters, headings were written inBilingual. Efforts may be taken to make entries in Hindi.

राजभाषा नियम 1976 के नियम 6 के अनुसार धारा 3(3) और नियम 5के 100%अनुपालन का व्यक्तिगत जिम्मेदारी हस्ताक्षर करनेवाले अधिकारी पर है ।

As per Rule 6 of the Official Language Rules 1976 it is the personal responsibility of the signing authority for the 100% compliance of Section 3(3) and Rule 5.

अनुपालनरिपोर्ट15 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी कोभेजदीजाए।

Compliance report may be forwarded to the undersigned within 15 days.

Signed by Navin Kumar Bhasker
Date: 19-09-2024 14:17:49
(नवीन के. भास्कर)
सहायक आयुक्त

सेवा में/To,

सहायक आयुक्त/The Assistant Commissioner,

लेखापरीक्षा अनुभाग/Audit Section, मुख्यालय/Headquarters,

बेंगलूरु उत्तर पश्चिम आयुक्तालय/Bengaluru North West Commissionerate.